

की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना के अंतर्गत उपलब्ध हुए धान और गेहू की बीजों, उर्वरकों, सिंचाई और मजदूरी की प्रति हैक्टर लागत के अनुमान सभा पटल पर रखे गए विवरण 1 में दिए गए हैं [प्रधालय में रखा गया देखिए सभ्या एल टी 8977/75] जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र प जाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 1973-74 की लागत के आकड़े एकत्र किए गए हैं। इस समय जाब कर इन्हे सकलित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 1974-75 की लागत के आकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) 1970-71 के 1974-75 तक के खरीफ। रबी मौसमों के लिए धान, चावल और गेहू के लिए निर्धारित किए गए वसूली मूल्य सभा पटल पर रखे गए विवरण 2 में दिए गए हैं [प्रधालय में रखा गया। देखिए सभ्या एल टी ] जहां तक गन्ने का शब्ध है, इस प्रकार का कोई वसूली मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि चीनी के कारखानों द्वारा भ्रदा किया जाने वाला एक साबिधिक न्यूनतम मूल्य वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनका ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण 3 में दिया गया है। [प्रधालय में रखा गया। देखिए सभ्या एल टी ]

(ग) न्यूनतम। वसूली मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों की सलाह से निर्धारित किए जाते हैं। ऐसा करते समय सभी संबंधित पहलुओं पर विचार किया जाता है जिसमें किसान को लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता भी शामिल है। इसके अलावा गन्ने के मामले में चीनी पर आशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अंतर्गत चीनी के कारखानों से यह आशा की जाती है कि वे चीनी की खुले बाजार में बिक्री के कोटे से मिलने वाली अतिरिक्त राशि में से ऊंचे मूल्य भ्रदा

करे और वस्तुतः कई कारखाने भ्रदा भी करते हैं। 1974-75 के मौसम से कारखाने के लिए साबिधिक रूप से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह उसे मिलने वाली अशिक राशि का कम से कम 50 प्रतिशत गन्ना उत्पादकों को गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के तौर पर दे।

**दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों को राशन की दुकानें आवंटित करना**

**870. श्री लीलाधर कटकी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रोजगार देने के मामले में अन्य लोगो की तुलना में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने की सरकार की कोई नीति है,

(ख) यदि हा तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को दिल्ली में राशन की दुकानें दी गई हैं और क्षेत्र निवासियों के सिफारिश करने पर ऐसे कितने आवेदन पत्र रह किए गए, और

(ग) क्या राशन की दुकानों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आवेदनपत्र विवाराधीन हैं और यदि हा, तो इनका काल तक निर्णय कर लिया जायगा?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब धी० शिन्डे) :** (क) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों/सेवाओं में क्रमशः रिक्तियों का 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत तक पद आरक्षित किए हैं। ये पद सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने हैं।

(ब) और (घ) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को 6 राशन की दुकानें दी गई थीं और वे प्रवृत्त भ्रजियों का कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं। राशन की दुकान के लिए भूतपूर्व सैनिकों की कुछ भ्रजियां दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन हैं और यथासमय उन भ्रजियों पर निर्णय लिया जाएगा।

**Famine conditions in Jhumia Belt of Tripura and Central aid therefor**

871. SHRI DASARATHA DEB: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that the entire Jhumia belt, particularly in upper portions of Kailasaher, Kamalpur, and Khowai Sub-divisions of the State of Tripura have now been under terrific famine;

(b) if so, steps being taken at present to protect the affected Jhumia; and

(c) whether Government propose to provide a monthly cash dole to each of the affected tribal family, as is being provided to the refugees from Bangladesh even to-day?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): (a) to (c). The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

**Central Assistance to States for implementation of UGC Pay Scales for Colleges/University Teachers**

872. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government of India's offer of Central assistance to the

State Governments for implementing the University Grants Commission pay scales for college and University teachers has been reiterated; and

(b) if so, the reaction of the State Government's thereon?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): (a) Yes, Sir.

(b) Government of Uttar Pradesh has issued orders for implementation of the revised scales while Government of Bihar have accepted them in principle. Government of Kerala have proposed revised scales of pay, which are substantially different from those recommended by the University Grants Commission. Other States are examining the financial and other implications of the scheme.

**Urban Property Ceiling Bill**

873. SHRI D. P. JADEJA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government are considering to introduce an Urban Property Ceiling Bill in Parliament during the current Budget Session; and

(b) if so, the aims and objects of the Bill?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (b). The matter is under active consideration. Efforts are being made to introduce the Bill in the Parliament at an early date.

**Enquiry into the utilisation of credit given by Gujarat State Land Development Bank**

874. SHRI JYOTIRMOY BOBU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether an enquiry into the utilisation of credit given by the